(11)

घा

R 1802 I/13

1 अटल कुमार शर्मा आ0 रेवाराम शर्मा

2 परषोत्तम कुमार शर्मा आव रेवाराम शर्मा

दोनो निवासी सिंहपुर (बडा) तहसील व जिला नरसिंहपुर

........................रिवीजनकर्ता

बनाम

1 अखिल शंकर शर्मा आयु 58 वर्ष आ0 हरिशंकर शर्मा

2 अबघ कुमार शर्मा आयु 55 वर्ष आ0 रेवाराम शर्मा

दोनो निवासी सिंहपुर (बडा) तहसील व जिला नरसिंहपुर

.......................उत्तरवादीगण

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1802–एक/13 जिला नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
11.11.2014	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव तथा अनावेदक कमांक 1 की ओर से श्री रामसेवक शर्मा व अनावेदक कमांक 2 श्री आर0एस0सेंगर अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना। 2– उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20–3–2013 व अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य आपत्ति इस बिन्दु पर है कि सामान्य जनता को समाचारपत्र के माध्यम से प्रकाशन किया किया है जबकि हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है । प्रकरण का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि आवेदक से संबंधित पक्षकारों का तलबाना प्रस्तुत कराकर प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकार जो कि उपस्थित नहीं हुये हैं, के नाम से नोटिस का प्रकाशन समाचारपत्र के माध्यम से करें । **प्रशासकीय सदस्य**	